

पत्रांक: 388 / 55 बजट (मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19
सेवा में,

दिनांक: 08/08/2018

मुख्य अभियन्ता स्तर, - II
राष्ट्रीय राजमार्ग, लोहाघाट,
हल्द्वानी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत पैच मरम्मत कार्यों में आवंटन।

- संदर्भ:-
- (1) शासनादेश संख्या-1503/III (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018
 - (2) शासनादेश संख्या-7516/III (2)/15-31 (प्रा०आ०)/2014 दिनांक-31.01.2015
 - (3) इस कार्यालय का पत्र संख्या 138/56 बजट (मार्ग अनुरक्षण)/2015-16 दिनांक 06.05.2015
 - (4) इस कार्यालय का पत्र संख्या 5149/56 बजट (मार्ग अनुरक्षण)/2015-16 दिनांक 21.03.2016
 - (5) अधिशासी अभियन्ता, रा०मा०खण्ड, लोहाघाट का पत्र संख्या 709/1ए०सी० दिनांक 25.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क०सं० 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि एवं उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.01.2015 (क०सं० 2) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 के किमी० 53.00 से 204.00 (टनकपुर-पिथौरागढ़ प्रभाग) में बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा पैच मरम्मत कार्यों हेतु प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु० 183.71 लाख के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष भुगतान तथा अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लोहाघाट के सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.04.2018 (क०सं० 5) द्वारा वर्णित कार्य हेतु सूचित मांग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नविवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार कुल रु० 40.00 लाख (रु० चालीस लाख मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क० सं०	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक व्यय	दिनांक 01.04. 2018 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन
1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 के किमी० 53.00 से 204.00 (टनकपुर-पिथौरागढ़ प्रभाग) में बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	रा०मा०खण्ड, लोहाघाट	183.71	125.00	58.71	40.00

आवंटन की शर्तें:- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, उपर्युक्त वर्णित कार्यों से सम्बन्धित लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु उच्च प्राथमिकता एवं तात्कालिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि आवंटित की गई है।

- (2) आवंटन से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही अतिरिक्त दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्याधिक्य एवं वित्तीय दायित्वों के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेंट नियमावली 2017 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) कार्यों के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय क्षितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं० 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो०आ०-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि० देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी।
- (5) अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट
- (6) आई०टी०सेल, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1-T
upload on
01/8
13/8/18
(देवेन्द्र शास्त्री)
अधिशासी अभियन्ता